

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
नियम अनुभाग

क्रमांक : प.1(4)वित्त/नियम/2019

जयपुर, दिनांक : 14 NOV 2022


परिपत्र

विषय: राज्य सरकार के सार्वजनिक उपकरणों / बोर्ड इत्यादि से राज्य सरकार के विभागों में विपरीत प्रतिनियुक्ति (Reverse Deputation) हेतु सामान्य शर्तें एवं निर्देश।
संदर्भ: वित्त विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 28-12-2021

वित्त (नियम) विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 28-12-2021 के बिन्दु संख्या "(xiv) चिकित्सा सुविधा एवं यात्रा भत्ता राज्य सरकार के कार्मिकों के अनुरूप नियमानुसार देय होंगे", को एतद्द्वारा विलोपित किया जाकर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :

"(xiv) (a) चिकित्सा सुविधा संबंधित सार्वजनिक उपकरण / बोर्ड में लागू Rajasthan Government Health Scheme में निर्धारित प्रीमियम पर चिकित्सीय सीमा तथा शर्तों के अधीन देय होगी। इन कार्मिकों की प्रीमियम राशि विपरीत प्रतिनियुक्ति की अवधि में राज्य सरकार के स्तर से वहन की जायेगी।

(b) यात्रा भत्ता राज्य सरकार के कार्मिकों के अनुरूप नियमानुसार देय होंगे।"


(रोहित गुप्ता)


शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
3. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय / राज्य मंत्री महोदय
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
7. प्रशासनिक सुधार विभाग (ग्रुप-7)
8. समस्त विभागाध्यक्ष
9. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर
10. उप निदेशक, सांख्यिकी, मुख्यमंत्री कार्यालय
11. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान
12. विधि रचना संगठन, शासन सचिवालय, जयपुर
13. समस्त कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी
14. परियोजना निदेशक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, जयपुर
15. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल)

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ :

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर


(एस.जे. शाहिद)

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम)